

13/12/2017

राज्य द्वारा ए.जी.पी. श्री बघेल उपस्थित ।

आरोपी जैकी उर्फ जयकुमार की ओर से डकैती प्रकरण क्रमांक-199/2015 पुलिस मौ वि० जैकी उर्फ जयकुमार में घोषित निर्णय अनुसार के अनुसार धारा 411 सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम में तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड को जमा किया गया ।

जो इस न्यायालय के अर्थदण्ड बुक नंबर-6906 एवं रसीद नंबर-11 पर विधिवत जमा की गयी ।

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे।

13-12-17
(मोहम्मद अजहर)
विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद